केन्द्रीय सूचना आयोग

कमरा संख्या–415, चतुर्थ तल,
बाबा गंग नाथ मार्ग, नई दिल्ली–110 067
दूरभाषः– 011–2618514

संचिका संख्या CIC/SA/A/2016/001983/MH&FW

सुनवाई की तिथि	:	12.12.2017
निर्णय की तिथि	:	12.12.2017
वादी	:	श्री कपिल सिंह ठाकुर नेहरू विहार, दिल्ली।
प्रतिवादी	:	दिल्ली चिकित्सा परिषद नई दिल्ली।
सूचना आयुक्त	:	श्री यशोवर्द्धन आजाद

द्वितीय अपील से प्राकट्य सुसंगत तथ्यः

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	:	13.05.2016
पी.आई.ओ. के जवाब की तिथि	:	18.05.2016
प्रथम अपील की तिथि	:	25.05.2016
प्रथम अपीलीय आदेश की तिथि	:	कोई आदेश नहीं।
द्वितीय अपील प्राप्ति की तिथि	:	11.08.2016

मांगी गई सूचना एवं प्रतिवादी पक्ष द्वारा उसका निस्तारण :

प्रार्थी ने अपने उक्त दिनांकित आवेदन के माध्यम से इस बात की सूचना चाही थी कि क्या दिल्ली चिकित्सा परिषद को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त है, जिससे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कि चिकित्सक, जो अपनी पैथी में ही चिकित्सा कार्य करते हों, उन्हें प्रैक्टिस करने से राक सके।

संचिका में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार जन सूचना अधिकारी ने प्रार्थी को यह सूचित किया कि Delhi Medical Council Act, 1997 की धारा 17(3) और 15(6) के अनुसार कोई भी चिकित्सक, जो दिल्ली चिकित्सा परिषद के समक्ष पंजीकृत है, वही दिल्ली में Modern Scientific System of Medicine (Allopathy) की प्रैक्टिस दिल्ली में कर सकता है। साथ ही साथ जन सूचना अधिकारी ने इसका उलंघन करने वाले चिकित्सकों के विरूद्ध परिषद द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का विवरण भी प्रार्थी को प्रदान किया था। बहरहाल, प्रार्थी की दलील थी कि उनका प्रश्न इल्क्ट्रो–होम्योपैथी के चिकित्सकों के संबंध में था, न कि NEHM के विषय में और इसी आधार पर प्रार्थी ने प्रथम अपील संस्थित की। लेकिन प्रथम अपीलीय अधिकारी की तरफ से प्रार्थी को कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ।

सुनवाई के दौरान प्राकट्य सुसंगत तथ्य:

सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष से डॉ0 गिरीश त्यागी और श्री प्रवीण खट्टर, अधिवक्ता आयोग में उपस्थित हुए। प्रार्थी भी आयोग में उपस्थित हुए और अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

सुनवाई के दौरान प्रदान की गयी सूचना के विरूद्ध प्रार्थी ने अपनी दलील को दुहराते हुए कहा कि उन्होंने सूचना इल्क्ट्रो–होम्योपैथी के चिकित्सकों के संबंध में चाही थी, न कि Modern Scientific System of Medicine (Allopathy) के विषय में, जबकि जन सूचना अधिकारी ने अपने जवाब में Modern Scientific System of Medicine (Allopathy) के विषय सूचना प्रदान की है। प्रार्थी का कहना था कि इल्क्ट्रो–होम्योपैथी के चिकित्सकों के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार और कुछ अन्य राज्यों की सरकारों ने दिशा–निर्देश जारी किये हैं। इस संदर्भ में उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल के निर्णय भी हैं, जिसमें इन चिकित्सकों के विरूद्ध कार्रवाई नहीं किये जाने संबंधी निर्देश जारी किये गए हैं।

आयोग द्वारा पूछे जाने पर प्रतिवादी पक्ष ने बताया कि दिल्ली चिकित्सा परिषद इल्क्ट्रो–होम्योपैथी को मान्यता प्रदान नहीं करता है। अतः ऐसा कोई चिकित्सक, जो इलेक्ट्रो–होम्योपैथी अथवा एनईएचएम की अन्य किसी पैथी का चिकित्सक है और वह Modern Scientific System of Medicine (Allopathy) में चिकित्सा करते हुए पाया जाता है, उनके विरूद्ध Delhi Medical Council Act, 1997 की धारा 27 के अंतर्गत परिषद द्वारा कार्रवाई की जाएगी। आयोग द्वारा यह पूछे जाने पर कि यह बात लिख कर प्रार्थी को प्रदान करने में उन्हें कोई आपत्ति है, प्रतिवादी पक्ष का कहना था, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तथा इसे लिखकर प्रार्थी को प्रदान कर दिया जाएगा।

निर्णय:

संचिका में उपलब्ध तथ्यों तथा सुनवाई के दौरान उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत की गयी दलील के आलोक में आयोग जन सूचना अधिकारी, दिल्ली चिकित्सा परिषद को यह निर्देश देता है कि प्रस्तुत आदेश की प्राप्ति से 14 दिनों के अंदर प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना के संदर्भ में पुनरीक्षित सूचना प्रेषित करें, जैसा कि सुनवाई के दौरान आयोग के समक्ष स्पष्ट किया गया है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत अपील निरतारित की जाती है।

--ह0--

(यशोवर्द्धन आजाद)

सूचना आयुक्त

अधिप्रमाणित सत्यापित प्रतिलिपि, आदेश की अतिरिक्त प्रतियाँ आवेदन एवं अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित शुल्क के भुगतान पर केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी।

केन्द्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली Central Information Commission New Delhi

(आर0 पी0 ग्रोवर)

उप–पंजीयक

Copy to:

Public Information Officer under RTI
Office of the Registrar,
Delhi Medical Council,
308-A, 3rd Floor, Administrative Block,
Maulana Azad Medical College,
B. S. Zafar Marg, New Delhi-110002.

First Appellate Authority under RTI,
Office of the President,
Delhi Medical Council,
308-A, 3rd Floor, Administrative Block,
Maulana Azad Medical College,
B. S. Zafar Marg, New Delhi-110002

Shri Kapil Singh Thakur
E-10/476, 33 Feet Road,
Nehru Vihar, Delhi-110094